तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी सं. 1 से 4 की नोटिस तामील अदालत से प्राप्त नोटिस तामील पत्रावली है। कोई उपस्थित नहीं आए। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही में दिनांक 21/7/25 को पेश हो।	
21/7/25	पत्रावली दिनांक 21/7/2025 के बजाय आज पेश हुई वकील प्रार्थीया उपस्थित। विपक्षी बावजूद तामील के कोई उपस्थित नहीं हुए बार-बार आवाजें लगवाई गई फिर भी कोई उपस्थित नहीं आए न ही इनकी ओर से किसी उपस्थिति दी गई। अतः विपक्षी सं. 1 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश दिया जाता है। विपक्षी संख्या 2 सरकार जरिये भूमि धारी हल्फीकार हुंगरा औपचारिक पक्षकार है। वकील प्रार्थीया को एक पक्षीय बहस को सुना गया। वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 2 के वर्णित खातों में दर्ज आराजियात की मूल [illegible] हक मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति को रखने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा [illegible] जावे। वकील प्रार्थीया की एक पक्षीय बहस सुनने के पश्चात पत्रावली का एवं संलग्न राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजों का अवलोकन कर [illegible] मनोरमण किया गया। बाद अवलोकन पाया	

उपखण्ड अधिकारी
हुंगरा
जिला-चित्तौड़गढ़

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी हुंगरा मुकाम हुंगरा
बांकी बनाम राजस्थान
नम्बर मुकदमा प्रार्थना पत्र 312 सन् 2024 सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	ग्राम कि मौजा पद्मपुरा पटवार मण्डल पलोद के खसरा संख्या 31 में वर्णित आराजी नम्बर 1, 164, 124, 126, 127, 128, 201, 203, 204, 206, 207, 208, 305, 313, 323, 330, 336, 344, 423, 35, 38 किता- 21 कुल रकबा 13.[illegible] हेक्टेयर भूमि स्थित है। इसी प्रकार से खाता संख्या 32 में दर्ज आराजी नम्बर 197, 198, 199, 200, 335 किता-5 कुल रकबा 0.3540 हेक्टेयर भूमि स्थित है। जो प्रार्थीगण व विपक्षी भी पैतृक पुश्तैनी की होकर बादशरह है। जिसमें प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/5 हक हिस्सा बनता है। मृतिप्रार्थीगण जो शंकर लाल का वारीस है उनका संयुक्त रूप से 1/5 हक हिस्सा बनता है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला होकर, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण को होने से विपक्षी का अस्थायी निषेधाज्ञा के स्थगन आदेश पारित किया जाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एस. का स्वीकार किया जाता है। तथा आदेश दिया जाता है ~~दिया जाता है~~ कि उक्त दोनों खातों में वर्णित आराजीगण की मौका एवं राजस्व रिकार्ड की मूल वाद के निस्तारण होने तक यथास्थिति बनाये रखने हेतु विपक्षीगण को पाबन्द किया जाता है। एवं प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई दखलअन्दाजी नहीं करें न किसी से करावे। निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। फैसल शुमार होकर नम्बर से	

उपखण्ड अधिकारी
हुंगरा
जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2025.08.18 15:35:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner